न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज

विभाजन वाद संख्या–175/2000

CIS NO-390/2019

अशर्फी राउत.....वादी

बनाम

माया देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

11.11.20 उभय पक्ष की पैरवी है। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 19.09.20 को एक आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 (ए) एवं (डी) के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में वादी की ओर से प्रत्युत्तर दिनांक 01.10.20 को दाखिल किया गया है।

प्रतिवादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादपत्र के मद नं0–2 में वर्णित भूमि पर अपने स्वत्व की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दाखिल किया गया है। यह कि वादी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध वादी ने विविध अपील 48/2011 दाखिल किया जो दिनांक 02.04.19 को खारिज कर दिया गया। यह कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर दावा का आधार रजिस्ट्री दस्तावेज संख्या–8689 दिनांक 23.01.1951 पर आधारित है, जिसे प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी बताया गया है, क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया गया है उसकी चौहदी में पश्चिम नदी है, जबकि वादी के दस्तावेज में चौहदी पर स्याही गिराकर पश्चिम में नदी को निज बना दिया गया। यह कि इस फर्जीवाड़ा के आधार पर प्रतिवादी अनील कुमार साह ने वादी के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जिसका परिवाद संख्या–1279सी/2000 में माननीय न्यायालय द्वारा आइपीसी की धारा 467 एवं अन्य धाराओं के तहत संज्ञान लिया तथा आरोप पत्र समर्पित किया। वादी के वाद का आधार एवं वाद हेतुक फर्जी दस्तावेज पर आधारित है। ऐसी स्थिति में वर्तमान वाद पोषणीय नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाय।

इस संबंध में वादी का कहना है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि में पोषणीय नहीं है। यह कि प्रस्तुत वाद वादी साक्ष्य हेतु चल रहा है एवं प्रतिवादीगण ने अपने आवेदन की कंडिका 2 व 3 में वाद खारिज करने का जो आधार दिया है वह मन गढंत व विधि विरूद्ध है, क्योंकि वादी का दस्तावेज दिनांक 23.01. 1951 किसी न्यायालय द्वारा जाली, फर्जी घोषित नहीं किया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित कथन में जाली फर्जी दस्तावेज बताना वाद खारिज होने का कोई आधार नहीं है। वादी द्वारा अपने आवेदन में एआईआर 1998 एससी 3085 एवं एआईआर 1996 एससी 2140, एआईआर 2008 एससी 3174 का हवाला भी दिया

न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
विभाजन वाद संख्या–175/2000
CIS NO-390/2019

अशर्फी राउत.....वादी

बनाम

माया देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

गया है तथा निवेदन किया गया है कि उक्त तथ्यों के आलोक में प्रतिवादीगण का आवेदन खारिज किया जाय।

अभिलेख परिशीलन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादपत्र के मद नं0–2 में वर्णित भूमि पर अपने स्वत्व की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण का कहना है कि वादी द्वारा रजिस्ट्री बयनामा दस्तावेज दिनांक 23.01.1951 के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर दावा किया गया है, जबकि उक्त दस्तावेज एक जाली, फर्जी दस्तावेज है जिस संबंध में उनके विरूद्ध परिवाद पत्र संख्या–1279सी/2000 दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान वाद पोषणीय नहीं है। प्रस्तुत वाद वादी साक्ष्य में चल रहा है। इस न्यायालय द्वारा वादी की ओर से दाखिल निबंधित दस्तावेज दिनांक 23. 01.1951 की वैधता का निर्धारण किया जाना अभी शेष है। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 19.09.20 स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है। वास्ते वादी साक्ष्य हेतु अभिलेख दिनांक 27.11.20 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)